संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्य प्रदेश

ग-खण्ड, प्रथम तल
विन्ध्याचल भवन,
भोपाल - 462003
दूरभाष:0755-2551199, 2552003
फेक्स:0755-2551387
वेबसाइट: www.dif.mp.gov.in
ई-मेल: difbho@mp.gov.in

क्रमांक/प्राविवि/340/संविस/2026/ 659 भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2026

प्रति,

1. शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
   राजस्व मण्डल, समस्त संभागायुक्त,
   समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
2. राज्य शासन के समस्त निकाय/निगम/
   मण्डल/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश

विषय:- बैंको में संधारित वेतन खाता पैकेज राज्य शासन एवं निगम मण्डल के कर्मचारियों हेतु लागू करने के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:-1. संचालनालय का पत्र क्र. I/764235/2026 दिनांक 26-01-2026 |
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्र. eF. No. 9/9/10/2025-IR दिनांक 23-02-2026 |

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें | पत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन खाता पैकेज सम्बन्धी सुविधाएँ राज्य शासन एवं राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल एवं स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू किये जाने हेतु लेख किया गया है | अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ निम्नानुसार है:

- जीरो-बैलेंस वेतन खाते में सुविधाओं में वृद्धि
- धन प्रेषण हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई और चेक बुक सुविधाएं
- आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दर
- लॉकर किराये और ऋण प्रसंस्करण शुल्क में छूट
- खाता धारक को रु. 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- खाता धारक को रु. 1.50 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा
- खाता धारक को स्थायी एवं आंशिक विकलांगता बीमा रु. 1.50 करोड़ तक
- खाता धारक को टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ 20 लाख तक का अधिक लाभ
- Base plan एवं अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ स्वयं/परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner
CamScanner

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी / कर्मचारियों का वर्गीकरण (A/B/C) केंद्र द्वारा लागू सातवे वित्त आयोग के अनुरूप किया जावेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग से संदर्भित गठित वेतन आयोग द्वारा वर्गीकरण (A/B/C) के आधार पर किया जावेगा |

अतः उक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यरत समस्त (राज्य / केंद्र / निगम मण्डल) अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराए जाने के अनुरोध है |

(संलग्नः उपरोक्तानुसार)

आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्रमांक/प्राविवि/340/संविस/2026/ भोपाल, दिनांक अप्रैल 2026

प्रतिलिपि:

1. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, अरेरा हिल्स भोपाल |
2. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु |

आयुक्त
संस्थागत वित्त

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner
CamScanner

संस्थागत वित्त आयुक्त द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को भेजा पत्र

वेतन खाता पैकेजः अब डेढ़ करोड़ तक मिलेगा मुआवजा

स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

वेतन खाता पैकेज तहत अब कर्मचारी और उनके आश्रितों को 1.50 करोड़ रूपये तक का मुआवजा मिल सकेगा। संस्थागत वित्त आयुक्त द्वारा सभी विभागाध्यक्षकों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का वर्गीकरण सातवें वेतन आयोग के अनुरूप किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय से विकलांग और मृत्यु के मामलों में केंद्र की तरह राज्य शासन के साथ निगम मंडलों के अधिकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि यह पैकेज लागू करने की मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के इस फैसले से कर्मचारियों एवं उनके परिवार को मुसीबत में संबल मिलेगा।

सुविधाओं में यह लाभ

- जीरो बैलेंस वेतन खाते में सुविधाओं में वृद्धि
- धन प्रेषण हेतु आरटीजीएस/ एनईएफटी/यूपीआई और चेक बुक सुविधाएं
- आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दर
- लॉकर किराये और ऋण प्रसंस्करण शुल्क में छूट
- खाता धारक को रु. 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- खाता धारक को रु. 1.50 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा
- खाता धारक को स्थायी एवं आंशिक विकलांगता बीमा रु. 1.50 करोड़ तक
- खाता धारक को टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ 20 लाख तक का अधिक लाभ
- बीमा में एवं अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ स्वयं / परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ

शैक्षणिक समाचार

Scanned with CamScanner

CamScanner

STATE GOVERNMENT SALARY PACKAGE (SGSP)

Permanent employees of state government, Union territories and state boards etc. in States in Union Territories, Including Teachers/Professors of aided School, Colleges, Universities, etc. can avail of Salary Accounts under State Government Salary Package (SGSP)

Eligibility as per Net Monthly Salary

- SILVER: ₹10,000/- UP TO ₹25,000/-
- GOLD: > ₹25,000/- UP TO ₹50,000/-
- DIAMOND: > ₹50,000/- UP TO ₹1,00,000/-
- PLATINUM: > ₹1,00,000/- UP TO ₹2,00,000/-
- RHODINUM: > ₹2,00,000/-

Benefits ... Employer

Hassle-free account opening process. On request, our officials will visit your premises to on-board your employees

English

online or by visiting the

Scanned with CamScanner

Eligible Categories of Employees

The Salary Account Package shall be extended to **permanent employees** of the following organisations:

- Public Sector Undertakings (PSUs),
- Subordinate / Attached Offices and Autonomous Bodies under the administrative control of Central Government Ministries / Departments,
- State Governments / Union Territory Administrations, and
- Autonomous Bodies under the administrative control of State Governments / Union Territories.

Categorisation of Salary Accounts

Eligible employees shall be categorised based on the monthly salary credited to their accounts, as under:

Sl. No.	Classification	Monthly Salary Credit	Product Code	Product Name
1	Group-A (Civilians)	Above ₹1,20,000	2122-1261	SBCHQ – CENTRAL GOVT – GROUP A
2	Group-B (Civilians)	₹70,000 to ₹1,20,000	2122-1271	SBCHQ – CENTRAL GOVT – GROUP B
3	Group-C (Civilians)	Below ₹70,000	2122-1281	SBCHQ – CENTRAL GOVT – GROUP C

Benefits

The benefits applicable under each category of Salary Account for permanent employees shall be as detailed in Annexure–A to this circular.

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

CamScanner